न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 97/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
अमीन पुत्र ताजा जाति मुसलमान निवासी बींजासर तहसील सेडवा जिला बाडमेर		1– जयना पुत्री लाला पत्नी इस्माल 2– रसुला पुत्री लाला पत्नी सिकू 3–राहमत पुत्री लाला पत्नी ओसमान 4–मुन्नी पुत्री लाला पत्नी मुरीद 5–आदम पुत्र ताजा सभी जातियान मुसलमान निवासीगण बींजासर तहसील सेडवा जिला बाडमेर 6–ग्राम पंचायत बींजासर तहसील सेडवा जिला बाडमेर जरिये सरपंच **प्राफोर्मा पक्षकार** 7– हेमा वल्द केसाराम जाति जाट निवासी बाछडाऊ तहसील सेडवा, जिला बाडमेर 8– मगाराम पुत्र खीयाराम 9– दलाराम पुत्र खीयाराम 10–धनाराम पुत्र खीयाराम 11–तगाराम पुत्र खीयाराम 12–भारूराम पुत्र खीयाराम 13–काछूराम पुत्र खीयाराम 14–अणदाराम पुत्र जसोताराम 15–मु0 सामो बेवा खीयाराम जाति जाट निवासी गोरो का तला, (धनाऊ) तहसील सेडवा, जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 9–12–2014 जो उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा राजस्व अपील संख्या 01/2014 अनवान जयना वगैरा बनाम ग्राम पंचायत वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री रोशनलाल विश्नोई अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री एम0एल0खत्री अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 4 की ओर से ।
3– शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 21–12–2017

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन के समक्ष नामांतरकरण संख्या 1076 ग्राम पंचायत बींजासर के विरूद्ध इस आशय की प्रथम अपील पेश की कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 एवं अपीलांट की माता मरियत बेवा लाला के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि ग्राम बीजासर तहसील सेडवा के खसरा नंबर 479/12 रकबा 73 बीघा 04 बिस्वा भूमि आई हुई है । मरियत बेवा लाला के फौत होने पर विरासत का

नामांतरकरण पारित करते समय प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 जो कि मृतका मरियत की जायंदा पुत्रियां होने से उनको बिना सुने तथा अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 5 के नाम म्युटेशन संख्या 1076 पारित कर दिया, जो गलत रूप से स्वीकृत हो गया, जिसको निरस्त करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9–12–2014 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1076 ग्राम पंचायत बीजासर को निरस्त कर प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया, जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

वकील पक्षकारान उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मुस्लिम विधि की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन भूमि मे रेस्पो0 संख्या 1 से 4 का नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित कर दिया जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि मुस्लिम विधि अनुसार बहन का हिस्सा भाई के हिस्से से आधा होने के कारा आलोच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना ही पारित कर दिया जबकि प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने से खारीज योग्य थी । वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच किये ही अपीलाधीन नामांतरकरण को निरस्त कर राजस्व रेकर्ड मे रेस्पो0 संख्या 1 से 4 का नाम भी दर्ज करने बाबत पारित किया गया आदेश निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9–12–2014 को निरस्त करने का निवेदन किया।

रेस्पो0 संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया तथा यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9–12–2014 की पालना की जाकर तहसीलदार सेडवा ने नया म्युटेशन संख्या 2006 स्वीकृत कर दिया है, जिसमे अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 5 के साथ वर्तमान अपील की रेस्पो0 संख्या 1 से 4 का नाम भी दर्ज कर दिया गया है अथार्त अपीलाधीन निर्णय की पालना हो चुकी है इसलिए अपीलांट की यह अपील "इन्फ्रक्सुअस" निष्प्रभावी हो चुकी हो जाने से खारीज योग्य है ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने यह भी कथन किया कि तहसीलदार सेडवा द्वारा स्वीकृत नये म्युटेशन संख्या 2006 के विरूद्ध अपीलांट ने पृथक से एक अपील जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर दी है, जो अभी विचाराधीन है ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेज, अपीलाधीन निर्णय, अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1076 तथा वकील रेस्पो0 द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत नामांतरकरण संख्या 2006 आदि

का अवलोकन किया । अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1076 मे वर्णित भूमि मारियत बेवा लाला , अमीन, आदम पि0 ताजा कौम मुसलमान के संयुक्त खातेदारी की थी । जिसमे से सह खातेदार मारियत बेवा लाला के फौत हो जाने पर उसके खातेदारी की भूमि बाबत फोतेदगी का उक्त म्युटेशन सह खातेदारान अमीन, आदम पि0 ताजा के नाम का सरपंच ग्राम पंचायत बीजासर द्वारा बिना मृतक के विधिक वारिसान की जांच किये दिनांक 22–8–95 को स्वीकृत किया जबकि मृतक खातेदार मारियत के 4 पुत्रियां वर्तमान अपील की रेस्पो0 संख्या 1 से 4 जीवित थी । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे उक्त म्युटेशन की जानकारी होने पर प्रथम अपील पेश की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9–12–2014 को पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से समर्थन योग्य है ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय के द्वारा अपीलांट का नाम म्युटेशन से हटाये जाने का आदेश नही दिया है बल्कि स्व0 मारियत के वारिसो की जांच कर विधिसम्मत रूप से वैद्य पाए जाने पर वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 से 4 जयना पुत्री लाला, रसुला पुत्री लाला, राहमत पुत्री लाला एवं मुन्नी पुत्री लाला का नाम उतरदाता संख्या 2 व 3 (वर्तमान अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 5) के साथ नामांतरकरण पारित करने का आदेश दिया है, जो विधिसम्मत होने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है ।

इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय की पालना मे तहसीलदार सेडवा ने नया म्युटेशन संख्या 2006 मे स्वीकृत कर दिया जाना वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस के दौरान फार्म नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत उक्त नामांतरकरण की प्रति से जाहिर है, ऐसे मे अपीलाधीन आदेश की पालना भी हो चुकी है तथा अपीलांट ने उक्त नये म्युटेशन संख्या 2006 के विरूद्ध पृथक से अपील भी जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करना अवगत कराया है, जो विचाराधीन है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9–12–2014 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 21–12–2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर